संख्या-52/2016/769/26-3-2016-01(01)/2010टी.सी.

प्रेषक,

वीरेन्द्र कुमार सिंह
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक 18 मार्च, 2016

विषयः चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-83 आयोजनागत पक्ष के अन्तर्गत 04 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि निदेशक, समाज कल्याण के पत्र संख्या-2937/स0क0क0/लेखा-बजट/आ0प0वि0/भ0नि0/2015-16, दिनांक-05.03.2016 द्वारा निम्नलिखित 04 जनपदों में राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में भवन के निर्माण हेतु शासन द्वारा अवशेष 5 प्रतिशत की स्वीकृत कुल धनराशि रू0-2,25,67,000/- को अवमुक्त किये जाने हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया थाः-

(रू0लाख में)

क्र0 सं0	कार्य का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत धनराशि
01	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, रया,भदोही	सं0-109/2015/3082/26-3-2015-1(01)/2010,, दिनांक-01.10.2015	51.63
02	राजकीय आश्रम पद्धति (बालिका) विद्यालय, निडौरी, गाजियाबाद	सं0-108/2015/3081/26-3-2015-1(01)/2010 टी0सी0, दिनांक 01.10.2015	56.08
03	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, सैदपुर, गाजीपुर	सं0-124/2015/3920/26-3-2015-1(01)/2010टी0सी0 ,दिनांक-30.10.2015	58.41
04	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, मऊ, घनश्यामपुर, फैजाबाद	सं0-123/2015/3917/26-3-2015-10(08)/2012, दिनांक-29.10.2015	59.55
कुल योग			**225.67**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-2/2015/बी-1-925/ दस-2015-231/2015, दिनांक-30.03.2015 के प्रस्तर-2(5)छ में यह व्यवस्था दी गयी है कि यदि निर्माण कार्य की लागत रूपये 10.00 करोड़ से अधिक है तो निर्माण कार्यों के लिये कार्यदायी संस्था को प्रथम किश्त के रूप में निर्माण लागत की 40 प्रतिशत या इससे कम धनराशि अवमुक्त की जाय। प्रथम किश्त के 75 प्रतिशत उपयोग होने पर प्रशासकीय विभाग के द्वारा निर्माण कार्य की दूसरी किश्त 40 प्रतिशत तथा प्रथम और द्वितीय किश्त की सम्मिलित राशि के 75 प्रतिशत का उपयोग होने पर तीसरी किश्त के रूप में 15 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त किया जाय। निर्माण कार्य की दूसरी एवं तीसरी किश्त, निर्माण कार्य की भौतिक प्रगति तथा अपेक्षित गुणवत्ता, यथा स्थिति नियंत्रक अधिकारी, विभागाध्यक्ष अथवा कार्यालयाध्यक्ष द्वारा सत्यापित किये जाने के बाद जारी की जाय। बकाया 5 प्रतिशत की धनराशि के अवमुक्त करने की कार्यवाही प्रशासकीय विभाग द्वारा परियोजना के कार्य पूर्ण होने तथा उसकी गुणवत्ता से संतुष्ट होने पर की जाय।

3- उपरोक्त निर्माणाधीन विद्यालयों हेतु प्रस्तर-1 की तालिका में उल्लिखित शासन के उक्तांकित पत्र द्वारा अंतिम/अवशेष 5 प्रतिशत स्वीकृत कुल धनराशि रू0-2,25,67,000/- (रू0-दो करोड़ पचीस लाख सड़सठ हजार मात्र) को अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में वित्त विभाग से परामर्श प्राप्त किया गया। वित्त विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक-30.03.2015 के प्रस्तर-2(5)छ के अनुरूप कार्यवाही किये जाने का परामर्श दिया गया है।

इस प्रकार वित्त विभाग द्वारा निहित व्यवस्थानुसार प्रश्नगत विद्यालयों के कार्य पूर्ण न होने के कारण उक्तांकित शासनादेश द्वारा अवशेष 5 प्रतिशत स्वीकृत कुल धनराशि रू0- रू0-2,25,67,000/- को अवमुक्त किया जाना नियमानुकूल नहीं है।

4- अतः निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित शासनादेशों को एतद्द्वारा निरस्त करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत विद्यालयों के अवशेष कार्य दिनांक-30.04.2016 तक पूर्ण कराकर उपभोग प्रमाण पत्र सहित प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे कि आगामी वित्तीय वर्ष 2016-17 के प्रथम त्रैमास में ही अवशेष 5 प्रतिशत की धनराशि स्वीकृत किया जा सकेः-

भवदीय,

वीरेन्द्र कुमार सिंह
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पृ0सं0- 52/2016/769(1)/26-3-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम उ0प्र0 इलाहाबाद।

2- महालेखाकार (लेखा) प्रथम उ0प्र0 इलाहाबाद।

3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।

4- वित्त नियंत्रक, निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।

5- जिलाधिकारी, भदोही, गाजियाबाद, गाजीपुर एवं फैजाबाद।

6- जिला समाज कल्याण अधिकारी, भदोही, गाजियाबाद, गाजीपुर एवं फैजाबाद।

7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/बजट प्रकोष्ठ,समाज कल्याण, उ0प्र0 शासन।

8- निदेशक, एन.आई.सी., उ0प्र0 लखनऊ।

9- गार्डफाइल/इन्टरनेट प्रति।

आज्ञा से,

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।